



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 4698 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2024

रायपुर, दिनांक 22 / 10 / 2024

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 22.10.2024 को मध्याह्न 12:00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन स्थित कुलपति सचिवालय के सभा-कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए –

1. प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति	—	अध्यक्ष
2. डॉ. मीता झा	—	सदस्य
3. डॉ. निनाद बोधनकर	—	सदस्य
4. डॉ. तपेश चन्द्र गुप्ता	—	सदस्य
5. डॉ. राजीव चौधरी	—	सदस्य
6. डॉ. (श्रीमती) पद्मा बोहरे (Online)	—	सदस्य
7. डॉ. संजय जे. डहरवाल	—	सदस्य
8. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	—	सदस्य
9. डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव	—	सचिव

कार्यवृत्त

- विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 26.09.2024 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
निर्णय: कार्यवृत्त के अध्यक्ष के अनुमति से अन्य निर्णय बिंदु क्रमांक 1 के सरल क्रमांक 11 Law व सरल क्रमांक 12 Physical Education में आवश्यक पदों की संख्या की गणना संबंधित नियामक संस्था के रेगुलेशन के अनुसार संशोधित किये जाने की संशोधन के साथ शेष कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।
- विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 26.09.2024 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।
- निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र-संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
i.	बाबू पंढरी राव कृदत्त शास. महा. सिलौटी, जिला-धमतरी	B.Sc.-II Bio Group-Botany, Zoology	90	2024-25
		M.A. -III/IV Sem. Geography	30	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त के साथ अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				

4

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
ii.	नवीन शासकीय महाविद्यालय, अमलीडीह, रायपुर	बी.ए. (कला संकाय) द्वितीय वर्ष – आ.पा.– हिंदी एवं अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र	90	2024–25
		बी.सी.ए. द्वितीय वर्ष– समस्त अनिवार्य विषय	60	
		बी.बी.ए.– द्वितीय वर्ष– समस्त अनिवार्य विषय	40	
		बी.काम. (वाणिज्य संकाय) द्वितीय वर्ष– समस्त अनिवार्य विषय	90	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त के साथ अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
iii.	डॉ. राधाबाई शास. नवीन कन्या महा. रायपुर	M.Sc. -III/IV Sem. Chemistry	20	2024–25
		M.Sc. -III/IV Sem. Botany	20	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त के साथ अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
iv.	स्व. श्री जयदेव सतपथी शास. महाविद्यालय, बसना, जिला–महासमुंद	B.Sc.-I- Maths Goup Physics, Maths	60	2023–24
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त के साथ अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				

04. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र D.O.No. 2-76/2023 (CPP-II) 07th October, 2024 के अनुसार Election Commission of India एवं Ministry of Education के मध्य हुए समझौता ज्ञापन (MoU) दिनांक 02.11.2023 के प्रावधानों को अंगीकृत कर कार्यान्वयन किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: Election Commission of India एवं Ministry of Education के मध्य हुए समझौता ज्ञापन (MoU) दिनांक 02.11.2023 के प्रावधानों को अंगीकृत कर कार्यान्वयन किए जाने की अनुशंसा की गई।

05. संशोधित विनियम क्रमांक 161 Regulation for the Degree of Bachelor of Vocation programme के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अनुशंसा की गई।

06. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत प्रवेशार्थी विद्यार्थियों के लिए “स्वाध्यायी विद्यार्थी नीति 2024” लागू करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अवर, सचिव, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 3–32/2019/38–1, दिनांक 30.09.2024 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिपालन में “स्वाध्यायी विद्यार्थी नीति” हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक 4508/अका./स्वा.वि.नी./2024 दिनांक 01.10.2024 की सूचना ग्रहण कर अनुशंसा की गई।

4

07. पात्रता प्रमाण-पत्र लिए बिना एम.ए. अंतिम अंग्रेजी की परीक्षा में सम्मिलित 4 परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम जारी किए जाने हेतु परीक्षा निवारण समिति की अनुशंसा के संबंध में विचार करना।
निर्णय: एम.ए. अंतिम अंग्रेजी पात्रतानुसार जिस प्रश्न-पत्र में वर्ष 2024 वार्षिक परीक्षा में निम्नलिखित 4 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए हैं, उसके अंक सत्र 2023 वार्षिक परीक्षा के परीक्षा परिणाम में दर्शाकर छात्रहित में परिणाम घोषित किया जावे। इसे भविष्य में उदाहरण न माना जावे एवं TR में चस्पा किया जाए। भविष्य में ऐसे प्रकरण की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, पुनरावृत्ति होने पर सम्बन्धित का उत्तरदायित्व तय किये जाने की अनुशंसा की गई।

संबन्धित परीक्षार्थी के रोल नंबर एवं नाम निम्नानुसार है :-

1. गरिमा सिंह, रोल नंबर - 2312551929
2. बंसल बलजीत कौर रोल नंबर - 2312251891
3. कैलाश कुमार साहू रोल नंबर - 2310151932
4. राजेश कुमार रोल नंबर - 2310152014

08. यशवंत राव मेघावाले शासकीय महाविद्यालय, मगरलोड, जिला-धमतरी (छ.ग.) बी.ए. प्रथम वर्ष में सीट वृद्धि के संबंध में विचार करना।

निर्णय: यशवंत राव मेघावाले शासकीय महाविद्यालय, मगरलोड, जिला-धमतरी (छ.ग.) में बी.ए. प्रथम वर्ष में छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर का पत्र क्र. एफ 3-88/2024/38-1 दिनांक 07.06.2024 के द्वारा सत्र 2024-25 से सीट वृद्धि आदेश का निम्नानुसार अनुशंसा किया गया है :-

क्र.	कक्षा/विषय का नाम	निर्धारित सीट संख्या	वृद्धि हेतु मान्य सीट संख्या	सीट वृद्धि उपरांत निर्धारित कुल सीट संख्या
1.	बी.ए. प्रथम वर्ष	80	40	120

09. परीक्षा प्रकरण निवारण समिति (Examination Affairs Redressal Committee) की बैठक दिनांक 13.09.2024 के कार्यवृत्त की अनुशंसा के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अनुशंसा की गई।

10. विधि अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 29.07.2024 के अनुक्रम में B.A.LL.B. का अध्यादेश क्र. 179, LL.B. का अध्यादेश क्र. 180 एवं LL.M. का अध्यादेश क्र. 60 में संशोधन किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अनुशंसा की गई।

11. स्पेक्ट्रम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, नरदहा जिला-रायपुर (छ.ग.) को वर्ष 2022-23 से बी.काम. (प्रथम वर्ष) 40 सीट एवं डी.सी.ए. 40 सीट की अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26.09.2024 3(i) में की गई अनुशंसा निम्नानुसार है- "महाविद्यालय को उपरोक्त पाठ्यक्रम के लिए शासन से प्राप्त मान्यता आदेश सत्र 2022-23 के स्थान पर वर्तमान सत्र के लिए संशोधित आदेश के साथ प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित किये जाने की अनुशंसा की गई।" उक्त के अनुक्रम में अकादमिक विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 4612/अका./2024 दिनांक 10.10.2024 प्रेषित किया गया था। उक्त अनुशंसा को यथावत् रखते हुए पुनः पत्र प्रेषित किये जाने की अनुशंसा की गई।

12. सत्र 2024-25 के लिए निम्नलिखित महाविद्यालयों ने वार्षिक संबद्धता एवं वृद्धि शुल्क की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर दी है। वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु प्रकरण विद्यापरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :-

क्रमांक	शासकीय महाविद्यालय
1	राजीव गांधी शास. कालेज, सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
2	संत गुरु घासीदास शास. महा., कुरुद जिला-धमतरी
3	शास. नारायण राव मेघावाले कन्या महाविद्यालय, धमतरी (छ.ग.)
4	शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य पी.जी. कालेज, महासमुंद
5	शास. नवीन महा. चिरको, जिला-महासमुंद
6	शास. नवीन कन्या महाविद्यालय, गोबरा नवापारा, जिला-रायपुर
7	स्व. रामप्रसाद देवांगन शासकीय महाविद्यालय, खरोरा, जिला-रायपुर (छ.ग.) 493225

8	शास. डी.एस.व्ही. संस्कृत पी.जी. महा. रायपुर
क्रमांक	अशासकीय महाविद्यालय
1	पं. रामसखा उपाध्याय महा. एकतानगर, गुड़ियारी, रायपुर
2	काम्पटेक महावि. सोरिद नगर, धमतरी

निर्णय: अनुशंसा की गई।

13. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र-संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
i.	नवीन शासकीय महाविद्यालय, भंवरपुर, जिला-महासमुंद	B.A.-II- (F.C.- Hindi, English), Political Science, Sociology, Geography	90	2024-25
		B.Sc.-II- Bio Group - (F.C.- Hindi, English), Botany, Zoology, Chemistry	60	
		B.Sc.-II- Mashts Group - (F.C.- Hindi, English), Physics, Chemistry, Maths,	30	
		B.Com.-II All Compulsory Subject	90	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त के साथ अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				

14. विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 10 जुलाई, 2024 के बिन्दु क्रमांक 4 में लिये गए निर्णय के अनुसार सत्र 2025-26 एवं अग्रेसर सत्रों में विश्वविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुशंसा की गई। उक्त अनुक्रम में निम्नलिखित विषयों का नवीन पाठ्यक्रम प्राप्त हुआ है -


- (1) Master in Public Health
- (2) M.A. in Yoga
- (3) Pharmaceutical Management
- (4) Master in Women and Gender Studies


उपर्युक्त पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आवश्यक अध्यादेश निर्माण/संशोधन पर विचार करना।

- निर्णय: सत्र 2025-26 में विश्वविद्यालय में निम्नलिखित नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु संबंधित अध्यादेश के निर्माण व संशोधन की अनुशंसा की गई। नवीन पाठ्यक्रम संशोधन के साथ निम्नानुसार है -

- (1) Master in Public Health
- (2) M.A. in Yoga
- (3) M.B.A. in Pharmaceutical Management
- (4) M.A. in Women and Gender Studies

धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ बैठक संपन्न हुई।



कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 4699 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2024
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 22 / 10 / 2024

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
3. उ.कु.स. परीक्षा/सामान्य प्रशासन/स.कु.स. गोपनीय,
4. संचालक, आई.क्यू.ए.सी.,
5. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु अग्रेषित।


उप-कुलसचिव (अका.)